केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/199 दिनांक: 21.06.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00192
CICOM/A/2017/00609

अपीलकर्ता : श्री यूनिस खॉ,
पुत्र – स्व0 श्री युसुफ खॉ,
वार्ड नं. 2, नगर पंचायत ढिरिया,
मिंजावत खान, पश्चिम कादरी मश्जिद के पीछे,
बरेली कैंट ।

निर्णय की तारीख: 21.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141042/14.06.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के निर्णय सं.CIC/RM/A/2014/004194/SD के अनुपालन से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच.पी.सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरूद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है, तथापि श्री एच. पी. सेन को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर आयोग के उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंधित वर्तमान स्थिति से अपीलकर्ता को अवगत करवाया जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतगत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

22 JUN 2017

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एच. पी. सेन, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (डी.पी.) कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

22/06/17